

70

प्रपत्र-VII
 झारखण्ड सरकार
 समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम
 (भू-अर्जन शाखा)
 या
 समुचित सरकार
अधिघोषणा

संख्या 336.....

(अधिनियम-30/2013 धारा 19 (1) के अधीन)

दिनांक 24.6.16.....2016

चैंकि समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतित है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना कालिकापुर वितरणी के निर्माण हेतु ग्राम- काशीडीह, थाना- घाटशिला, थाना संख्या- 1531 अंचल- पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम में कुल 2.525 एकड़ यानि 1.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन, एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोबेष 2.525 एकड़ यानि 1.022 हेक्टेयर है और जो ग्राम-काशीडीह, थाना- घाटशिला, थाना संख्या-1531, अंचल-पोटका, जिला- पूर्वी सिंहभूम में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0	खाता संख्या	सर्वे प्लाट संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए0)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या)			
1	59	07	कायमी	दोन II	0.09	जवाहरलाल भगत, पिता-स्व0 सुरेन्द्र भगत, ग्राम- कोवाली	06	07	सीमाना	06
2	59	16	कायमी	पु0 परती	0.47	भगीरथ बेसरा, पित- स्व0 सिलाई बेसरा, ग्राम- कापोडीह	06	01	05	सीमाना
3	59	35	कायमी	नाला	0.10	जवाहरलाल भगत, पिता- स्व0 सुरेन्द्र भगत, ग्राम- कोवाली	सीमाना	01	सीमाना	सीमाना
4	59	04	कायमी	गोड़ा III	0.03	जवाहरलाल भगत, पिता- स्व0 सुरेन्द्र भगत, ग्राम- कोवाली	01	04	01	01
5	16	03	कायमी	गोड़ा III	0.64	घासीराम तांती, पिता- स्व0 गणेश्वर तांती, ग्राम- कोवाली	03	03	20,18	01
6	16	12	कायमी	गोड़ा III	0.03	पिता- स्व0 गणेश्वर तांती, ग्राम- कोवाली	16	12	15	03
7	16	15	कायमी	दोन II	0.03	पंकज कुमार पण्डा, पिता- स्व0 वासुदेव पण्डा, बेगनाडीह	16,17	15	17	12
8	56	17	कायमी	दोन II	0.10	सुदर्शन भूमिज, पिता- स्व0 भगत भूमिज, कोवाली	18	15	17	03
9	57	18	कायमी	दोन II	0.20	सुदर्शन भूमिज, पिता- स्व0 भगत भूमिज, कोवाली	20	17	20	03
10	16	20	कायमी	दोन III	0.38	पंकज कुमार पण्डा, पिता- स्व0 वासुदेव पण्डा, बेगनाडीह	21,22	20,18	18	20,18
11	16	21	कायमी	गोड़ा III	0.02	कौषल तांती, पति- अगस्ति तांती, ग्राम- कोवाली	21	20	22	21
12	16	22	कायमी	दोन II	0.15	कौषल तांती, पति- अगस्ति तांती, ग्राम- कोवाली	22	20	26	21
13	15	24	कायमी	दोन II	0.005	पंकज कुमार पण्डा, पिता- स्व0 वासुदेव पण्डा, बेगनाडीह	24	22	25	24
14	58	25	कायमी	दोन II	0.08	मिहीर मंडल, संजीव मंडल, अषोक मंडल, पिता- स्व0 सुधीर मंडल, ग्राम- कोवाली	01	26	27	24

336

[Signature]

[Signature]

15	55	27	कायमी	दोन I	0.08	मिहीर मंडल, संजव मंडल, अषोक मंडल, पिता- स्व0 सुधीर मंडल, ग्राम- कोवाली	25	26	28	25
16	42	28	कायमी	दोन II	0.12	रविखण्डा पातर, पिता- स्व0 रघुनाथ पातर ई0	सीमाना	28	सीमाना	27

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपतियों के सुनने और अधिनियम संख्या- 30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबन्धित सम्यक जांच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के मामले यहाँ नहीं है।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0- 03, सुवर्ण रेखा परियोजना, मनगों, कैम्प-आदित्यपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

10/11/16
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-03,
सुवर्ण रेखा परियोजना, मानगों,
कैम्प-आदित्यपुर
2/11/16

अपर उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।